प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर दिनांक 11.06.2024

चोरी के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाईल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्येवेक्षण में थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/24 धारा 457/380 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त मन्नू निषाद पुत्र अशोक निषाद निवासी बड़का पथरा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर को चोरी की एक अदद सैमसंग मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण/पूछताछ-

दिनांक 28.04.2024 को आवेदक अपने परिवार के साथ अपनी लड़की की गोदभराई समारोह में सम्मिलित होने गया था कि उसी दिन, रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में रखे आलमारी में से सोने व चांदी के जेवरात तथा कुछ रुपये व मोबाइल चुरा लिया गया था जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मन्नू निषाद पुत्र अशोक निषाद निवासी बड़का पथरा थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 1006/17 धारा -328 भादवि एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0-20/24 धारा-380/411/457 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0-591/22 धारा-380/411/457 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0-253/24 धारा-457/380/411 भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी की एक अदद सैमसंग मोबाइल

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 प्रदीप पाण्डेय चौकी प्रभारी आजाद नगर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार निर्मल थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. का0 सुनील कुमार सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर